भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
लखनऊ शाखा कार्यालय
Lucknow Branch Office

सत्यमेव जयते
Government of India

पंजीकृत पावती सूचना

हमारा संदर्भ एल/सी एम : – 9300130110 दिनांक -20/08/2024

विषय आई एस : IS 15298 : Part 2 : 2016 के अनुरूप भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एमएल/ – 9300130110 प्रदान करने के संबंध संदर्भ में।/

Subject: Grant of BIS Product Certification Licence No. CM/L - **9300130110** as per IS 15298 : Part 2 : 2016

मेसर्स इण्डियन लेदर इण्डस्ट्रीज
लैण्ड नं. 1369, कतरी पीपर खेडा,
प्राग हडहा, उन्नाव,
उत्तर प्रदेश - 209862

महोदय,

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है:
With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings :

उत्पाद :PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT PART 2 SAFETY FOOTWEAR
आईएस : IS 15298 : Part 2 : 2016

टाइप/साइज/ग्रेड/किस्म
Type/Class/Grade/Variety

Design-A, Size- 5 1/2 to 11 UK (both including) , Class I , Upper- leather , Tongue-Leather, Collar-Leather, Toe Cap- Metallic, Insock & insole - Present(Non Leather) , Insock- Removable and water permeable , vamp lining and Quarter lining - Non leather , with outsole- PU (SINGLE DENSITY) Cleated without any additional requirements

आपको यह लाईसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जा रहा है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त उत्पादन पर मानक मुहर लगाएँगे। आप पूरे उत्पादन को मानक चिन्ह के साथ लाईसेंस के दायरे में कवर करेंगे और संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप बनाए रखेंगे। इसके अलावा, आपको अपने परिसर में अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाईसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा और अपने वाणिज्यिक विज्ञापन में अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाईसेंस का भी उल्लेख करना होगा।
The licence is granted on the explicit condition that you shall mark entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards Accordingly, you shall cover the entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standard. In addition, you shall display the BIS product certification licence held by you prominently at your premises and also mention the BIS product certification licence held by you in your commercial advertisement.

Sh. PAJ (Sc-C)

2. आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सीएम/एल - **9300130110 है** जो दिनांक 14/05/2024 से लागू है तथा दिनांक 13/05/2025 तक वैद्य है। आप द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। The number assigned to this Licence is CM/L **9300130110** which has been made operative from 14/05/2024 and is valid up to 13/05/2025. The Licence number shall invariably be referred to in your future correspondence

3.भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के अनुसूची 2 में दिए गए स्कीम-1 के पारा 5 के अन्तर्गत सबपारा (1) और (3) के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क रू. 1000/- एवं भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के स्कीम-1 के उपाबंध 1 में दिए गए वार्षिक न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान लाइसेंस की वैद्यता अवधि दिनांक 13.05.2025 से अग्रिम रूप से आपके द्वारा देय होगा। जीएसटी, जैसा उपयुक्त हो, देय होगा।
According to Sub-Paragraph (1) & (3) of Paragraph 5 of Scheme-I of Schedule-II under Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, the annual licence fee of Rs. 1000.00 and the marking fee as notified is payable by you with effect from 13.05.2025 for the period of validity of the licence in advance. GST payable as per applicable.

4.आप द्वारा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान किया जाएगा, चाहे आपने अपने उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग किया हो अथवा नहीं । लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम मुहरांकन शुल्क के लिए हमारी रसीद संख्या **AA93PC2024000078** दिनांक 16/04/2024 मानक ऑनलाइन के द्वारा भेजी जा चुकी है।
Minimum Marking fee stipulated under Scheme-I of BIS (Conformity Assessment) Regulation, 2018 is payable by you regardless of the fact whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. Our Receipt No. **AA93PC2024000078** dated 16.04.2024 for the licence fee and the minimum marking fee for the first operative period is already *issued/enclosed/being sent separately.

5. यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक नवीकरण के समय अगले वर्ष के लिए जमा रहेगा। नवीकरण के समय आपको मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर के अनुसार, या वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।
This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher, shall be payable by you at the time of renewal.

6. उत्पाद की मुहरांकित मात्रा की रिपोर्ट एवं इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और उसकी प्राप्ति को सुचारू बनाने की दृष्टि से प्रथम नवीकरण के समय शुल्क की गणना लाइसेंस जारी होने के प्रथम नौ माह के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। द्वितीय तथा आगे के नवीकरण के समय यह गणना पूर्व वर्ष के अन्तिम तीन माह तथा चालू वर्ष के प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 12 महीनों के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में मुहरांकन शुल्क की गणना समाप्ति की तिथि तक के समस्त मुहरांकित उत्पादन पर की जाएगी।
With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence at the time of first renewal, and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year, at the time of the second and subsequent renewals. In case the licence expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

7. आपके द्वारा पहले से ही स्वीकृत निरीक्षण एवं परीक्षण योजना (एस आई टी) का आपके संगठन द्वारा पूर्णतया एवं सख्ती से अनुपालन करना होगा। इस योजना के प्रचालन की निगरानी आपके संगठन में गुणता नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा करनी होगी। अंत: उनका नाम एवं पदनाम हमें सूचित करें। इस संबंध में आपको भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना हमें प्रेषण करनी होगी

The Scheme of Inspection and Testing (SIT) submitted by you and agreed by BIS or the Scheme of Inspection and Testing as specified by BIS* will have to be implemented by your organisation strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organisation. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

8. हम मानक मुहर के अधिमान्य आयामों का विवरण संलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद पर मुहर लगाने के लिए मानक मुहर का डिजाइन बना सकें। मानक मुहर का किसी भी साइज़ में फोटो अनुमत है। इससे मानक मुहर के विभिन्न आयामों में समानुपात बनाया रखा जा सकेगा। जहॉ तक संभव हो, अधिमान्य आयामों का ही उपयोग किया जाए।

We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.

9. आपके जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है, आप उस के मुहरांकित होने का विज्ञापन लाइसेंस की वैधता के दौरान होर्डिगों, स्लाइडों और अखबारों में दे सकते हैं। लैटरहैड और प्रचार साहित्य में मानक मुहर के उपयोग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आप आश्वासन देंगे कि लाइसेंस के समाप्त या रद्द होने की दशा में आप उन लैटरहैड इत्यादि का नष्ट कर देंगे अथवा उन पर से मानक मुहर को मिटा देंगे। यह आश्वासन आपको संलग्न प्रपत्र में देना होगा।

On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your licence. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your licence, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

10. यह लाईसेंस **मेसर्स इण्डियन लेदर इण्डस्ट्रीज लैण्ड नं. 1369, कतरी पीपर खेडा, प्राग हडहा, उन्नावा, उत्तर प्रदेश - 209862** पर स्थित आपकी फैक्ट्री के लिए प्रदान किया गया है। इस लाईसेंस के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों / विशेषाधिकारों का उपयोग आप किसी अन्य फर्म/कंपनी/फैक्ट्री इत्यादि के लिए नहीं करेंगे। यह लाईसेंस अहस्तान्तरणीय है। निर्माण एवं जॉच उपकरणों के लाईसेंसशुदा परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित होने की स्थिति में नए परिसर में स्थानान्तरित निर्माण एवं जॉच सुविधाओं का हमारे द्वारा संतोषजनक निरीक्षण कर लेने तथा लाईसेंस में नये परिसर को शामिल कर देने तक आपको मानक मुहर का उपयोग बन्द करना होगा।

The licence is granted for your manufacturing premises situated at **M/S INDIAN LEATHER INDUSTRIES LAND NO. 1369, KATRI PIPAR KHEDA PRAG HADHA UNNAO, Uttar Pradesh – 209862** Privileges under the licence shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This licence is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by BIS in respect of manufacturing and testing facilities available there and the address of the new premises is endorsed in the licence

11. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खुद को और अपने संगठन के अन्य कर्मचारियों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक करें, विशेष रूप से किसी जानबूझकर या अनजाने में गैर-पालन के मामले में निहितार्थ के बारे में।
You are also advised to make yourself and other employees in your organisation aware about the provisions of the BIS Act, 2016 and Rules and Regulations framed thereunder especially the implications in case of any intentional or unintentional non-adherence.

12. आपका ध्यान आकर्षित करते हुए हम यह बताना चाहते हैं कि यह लाईसेंस इस शर्त के अधीन दिया गया है कि लाईसेंस प्रदान करने से पहले निरीक्षण के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आहरण किए गए नमूने (नमूने की आहरण तिथि 01.05.2024) अगर भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो लाईसेंस को निलंबन में रखा जाएगा और अगर एक माह के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई के बाद नए नमूने परीक्षण के लिए पेश नहीं किया जाता है अथवा नए नमूने परीक्षण में विफल पाए जाते हैं तो लाईसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी (विकल्प 2 में प्रदान किए जा रहे लाईसेंस के लिए लागू)।
It may be noted that this licence is granted under option 2 which is subject to the condition that if samples drawn on (Date of drawl of verification sample 01.05.2024) by BIS during the verification visit before grant of licence, fail to conform to the requirements of relevant Indian Standard (in any requirement), the licence shall be put under suspension, and in case fresh sample after corrective action is not offered within one month or fresh sample fails to conform to the requirement of relevant Indian Standard, in any requirement, the licence shall be processed for cancellation (Applicable for GOL, under option 2)

13. अनुज्ञप्ति दस्तावेज इसके साथ संलग्न है।
The license document is attached herewith.

14. बीआईएस लाईसेंस की शर्तें आपके अनुपालन के लिए संलग्न हैं।
The terms and conditions of BIS license are enclosed for your compliance.

15. आपको अपने शत्-प्रतिशत उत्पादन पर मानक मुहर लगाना अनिवार्य है। कृपया यह सुनिश्चित करें।
It is mandatory for you to put standard mark on 100% of your production. Please ensure this.

16. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।
Please send acknowledge receipt of this letter.

सधन्यवाद,

भवदीय,

(सुधीर बिश्नोई)
वैज्ञानिक-एफ एवं प्रमुख

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति

Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं. सीएम/एल

Licence No. CM/L- **9300130110**

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स इण्डियन लेदर इण्डस्ट्रीज
लैण्ड नं. 1369, कतरी पीपर खेडा,
प्राग हडहा, उन्नाव,
उत्तर प्रदेश – 209862

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह का इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मो पर, उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है | इन उत्पादित क़िस्मो पर चिन्ह का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबंध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो ।

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

M/S INDIAN LEATHER INDUSTRIES
LAND NO. 1369, KATRI PIPAR KHEDA
PRAG HADHA UNNAO,
Uttar Pradesh – 209862

(hereinafter called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2.इस अनुज्ञप्ति में अनुबंद अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-I में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This licence carries the obligations on the part of licence as condition of licence which are given in Annexure attached herewith.The licence shall be valid for the name,factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I

अनुसूची

SCHEDULE

लाइसेंस सं. सीएम/एल

LICENCE NO. CM/L - **9300130110**

मेसर्स इण्डियन लेदर इण्डस्ट्रीज
लैण्ड नं. 1369, कतरी पीपर खेडा,
प्राग हडहा, उन्नाव,
उत्तर प्रदेश - 209862

विधिमान्यता : चौदह मई दो हज़ार चौबीस से तेरह मई दो हज़ार पच्चीस

M/S INDIAN LEATHER INDUSTRIES
LAND NO. 1369, KATRI PIPAR KHEDA
PRAG HADHA UNNAO,
Uttar Pradesh – 209862

Validity: **From Fourteenth May Two Thousand Twenty Four to Thirteenth May Two Thousand Twenty Five**

मानक चिह्न STANDARD MARK	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S)	अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र SCOPE OF LICENCE	चिह्नांकन शुल्क MARKING FEE
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 15298 PART 2 CM/L-9300130110	**IS 15298 : PART 2 : 2016** **PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT PART 2 SAFETY FOOTWEAR**	**Design-A, Size- 5 1/2 to 11 UK (both including) , Class I , Upper-leather , Tongue-Leather, Collar-Leather, Toe Cap- Metallic, Insock & insole - Present(Non Leather) , Insock- Removable and water permeable , vamp lining and Quarter lining - Non leather , with outsole- PU (SINGLE DENSITY) Cleated without any additional requirements**	एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान न्यूनतम मुहरांकन फीस ₹ 111000.00 के साथ सभी इकाईयों के लिए ₹ 1.76 प्रति इकाई । इकाई: 1 PAIR ₹ 1.76 per unit for all units with a Minimum Marking Fee of ₹ 111000.00 during an operative period of one year Unit: 1 PAIR एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रनीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज बीस अगस्त दो हज़ार चौबीस को हस्ताक्षरित तथा मोहरबंद किया गया।
Signed, Sealed and Dated this Twenty August Two Thousand Twenty Four .

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

हस्ताक्षर/Signature : Sudheer Bishnoi

पदनामित प्राधिकारी का नाम/Name of Designated Authority : SCIENTIST-F & HEAD

उपाबंध

(अनुज्ञप्ति सं. सीएम/एल - 9300130110)

अनुज्ञप्ति की शर्तें

(1) मानक चिन्ह का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दी गयी प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।

(2) मानक चिन्ह के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक ब्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हों।

(3) अनुज्ञप्तिधारी उस संबद्ध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।

(4) अनुज्ञप्तिधारी उस माल, वस्तुओं प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा जो गैर-अनुरूप अथवा अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर है।

(5) जिस माल और वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह का उपयोग किया गया है अगर वे संबद्ध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को वापिस लेने का निर्देश दे सकता है।

(6) अनुज्ञप्ति के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबद्ध माल, वस्तु, प्रक्रिया, उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपाबंधों का पालन करना होगा जिसके अन्तर्गत उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षाएँ भी शामिल हैं।

(8) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद और मानक चिन्ह के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।

(11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी को उन परेषिती, वितरकों, त्यौहारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिन्ह वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गयी है।

(12) ब्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।

(13) मानक चिन्ह वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।

(14) अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

Annexure

(Licence No. CM/L- 9300130110)

Conditions of Licence

(1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.

(2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.

(3) The license shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.

(4) The licensee shall not use the Standard mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the licence.

(5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.

(6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.

(7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirement.

(8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau form time to time.

(9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.

(10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standards Mark as and when it is required by the Bureau.

(11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom woods or articles with Standard Mark is supplied.

(12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.

(13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.

(14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

मानक मुहर हेतु मोनोग्राम का डिजाइन

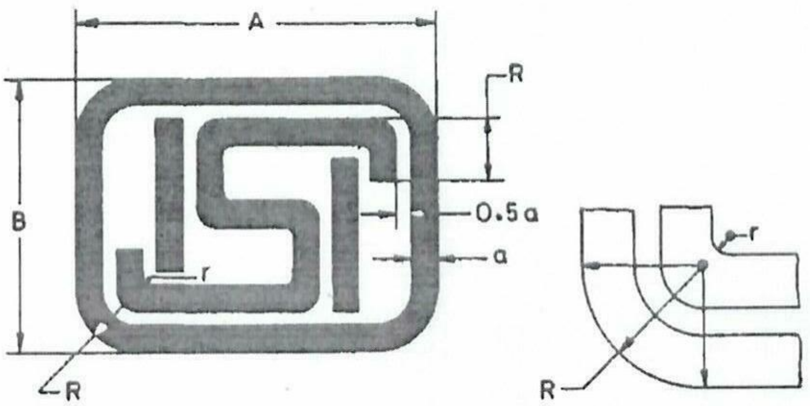

आकृति 1 मानक चिह्न हेतु मोनोग्राम

मानक चिह्न के मोनोग्राम के चित्रात्मक निरूपण में आकृति 1 में दर्शाई गई शैली में सटीक आरेखण और तालिका 1 में दिया गया सापेक्ष अनुपात

तालिका 1 मोनोग्राम के अधिमानित आयाम

सभी आयाम मिलीमीटर में

A	B	a	R	r	अक्षरों के आकार
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 मि.मि.
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 मि.मि.
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 मि.मि.
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 मि.मि.
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 मि.मि.
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 मि.मि.
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 मि.मि.
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 मि.मि.